न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./106/2024/बाड़मेर

अपीलांट **बनाम** **रेस्पोडेंटगण**

1. किशनाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम गडरा तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर	1. करनाराम पुत्र हुकमाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम गडरा तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौरीमन्ना जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2022 बअनवान करनाराम बनाम तहसीलदार धौरीमन्ना में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री रोशनलाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री के.एल. विश्नोई रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—01.08.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा व विनिमय तथा तरमीम बदलने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 की खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 81/2 रकबा 0.4047 हैक्टयर, वाके गडरा तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर में आई हुई हैं, जिसके पड़ौस में ही खसरा संख्या 81/1 रकबा 0.4856 हैक्टयर गैर मुमकिन मार्ग आया हुआ है। भूमि अवाप्ति से पूर्व दोनों खसरे, खसरा संख्या 81 का ही भाग थे, बाद में अलग अलग खसरा दर्ज हुए। कुछ समय पश्चात मौके पर सड़क का निर्माण शुरू हुआ तो ठेकेदार द्वारा सड़क सरकारी खसरे की जगह खसरा संख्या 81/2 पर निर्माण कर दिया जबकि खसरा संख्या 81/1 पर सड़क बनी हुई नहीं है। इसलिए हस्तगत वाद मातहत अदालत में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्व हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में खसरा संख्या 81 व उसके समस्त बट्टा नम्बर के खातेदार आवश्यक पक्षकार थे, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना ही वाद प्रस्तुत कर निर्णित करवाया है, जिस कारण वाद पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर निरस्त योग्य है। मूल वाद में अपीलांटस को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए अपीलांटस पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख सका। अपीलार्थी व वादी के बंटवाडा व तरमीम को लेकर विवाद है तथा हिस्सों को लेकर भी विवाद हैं जिसके सम्बन्ध में प्रकरण अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर व जिला कलक्टर बाड़मेर में विचाराधीन है तथा तरमीम बदले जाने के कारण अपीलार्थी का मौके पर हिस्सा प्रभावित हुआ है। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 की खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 81/2 रकबा 0.4047 हैक्टयर, वाके गडरा तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर में आई हुई हैं, जिसके पड़ौस में ही खसरा संख्या 81/1 रकबा 0.4856 हैक्टयर गैर मुमकिन मार्ग आया हुआ है। भूमि अवाप्ति से पूर्व दोनों खसरे, खसरा संख्या 81 का ही भाग थे, बाद में अलग अलग खसरा दर्ज हुए। कुछ समय पश्चात मौके पर सड़क का निर्माण शुरू हुआ तो ठेकेदार द्वारा सड़क सरकारी खसरे की जगह खसरा संख्या 81/2 पर निर्माण कर दिया जबकि खसरा संख्या 81/1 पर सड़क बनी हुई नहीं है। खसरा संख्या 81/1 के खातेदार प्रतिवादी व खसरा संख्या 81/2 का एकल खातेदार वादी था तथा वर्षों पूर्व सहमति बंटवाड़े से वादी के नाम दर्ज हुआ जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती है न ही उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है तथा 81/2 के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई अपील पेश नहीं है इसलिए खसरा संख्या 81 से 81/2 वर्षों पूर्व अलग होकर अलग खाते में दर्ज हो गया केवल उपरी अंक समान होने से सभी खसरो के खातेदारो को पक्षकार बनाना किसी भी विधि में नहीं लिखा है क्योंकि 81 अंक कई अन्य खातेदारो के नाम आ रखे है जिनका इस खसरे से कोई तालुकात नहीं है इसलिए ऐसे हास्यास्पद आधार स्वीकार योग्य नहीं है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सहमति बंटवाड़े की अपील भी स्वीकार योग्य नहीं है साथ ही अपीलांट ने जिस अपील को लेकर बार बार हवाला दे रहा है वह खसरा संख्या 81 व 81/3 से संबंधित होने से तथा उक्त दोनो खसरों का अलग से खाता कायम होने से किसी भी वाद के साथ जबरदस्ती जुड़ने का आधार नहीं हो सकता। केवल मात्र भौतिक स्थिति अनुसार अपीलांट से 500 मीटर दूर सड़क 509 मीटर दूर हो रही है तथा यही इसका एक मात्र आधार है इसलिए किसी भी व्यक्ति से सड़क 509 मीटर की जगह 500 मीटर करने के लिए कोई भी खातेदार अपनी किमती 2.10 बीघा भूमि की कुरबानी क्यों दे वैसे भी उतरदाता ने सरकार से निवेदन किया था कि मेरा खातेदारी का खेत खाली कर दिये जावे परन्तु 30 फिट चौड़ी सड़क को परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होने पर बेहतर विकल्प के रूप में विनिमय स्वीकार किया गया इसलिए किसी भी पाड़ौसी के नजदिक कोई वस्तु लाने के लिए कानून को बदला नहीं जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि मूल वाद में अपीलांटस पक्षकार नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया तथा वास्तविक जानकारी तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अपील पेश करने मे हुई देरी सदभाविक है। अतः अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकि बिंदुओं पर करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। न्यायहित में प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी वास्ते अपील पेश करने की अनुमति का निर्णय सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांटस अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी खसरा संख्या 81 का खातेदार काश्तकार है तथा खसरा संख्या 81 व उसके समस्त बट्टा नम्बर की तरमीम के संबंध में विवाद अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त न्यायालय जोधपुर व जिला कलक्टर बाड़मेर के समक्ष विचाराधीन है। इस कारण तरमीम बदले जाने के कारण मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलार्थी की भूमि में कमी आई है। इस कारण अपीलार्थी व्यथित पक्षकार है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करावे।

रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। खसरा संख्या 81 से 81/2 वर्षों पूर्व अलग होकर अलग खाते में दर्ज हो गया केवल उपरी अंक समान होने से सभी खसरो के खातेदारो को पक्षकार बनाना किसी भी विधि में नहीं लिखा है क्योंकि 81 अंक कई अन्य खातेदारो के नाम आ रखे है जिनका इस खसरे से कोई तालुकात नहीं है इसलिए ऐसे हास्यास्पद आधार स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांटस अपीलाधीन आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं है। लिहाजा अपीलांटस की अपील अनुमति के बिंदु पर ही खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी वास्ते अपील पेश करने की अनुमति पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांटस विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। हस्तगत आवेदन में ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं जिसमें यह साबित होता हो कि अपीलांटस अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार पिड़ित है। अपीलांटस द्वारा अपने स्वयं के स्वार्थ को सिद्व करने के उद्देश्य से अन्य खातेदारों को परेशान नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अपीलांटस को अपील पेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना न्यायोचित है लिहाजा आवेदन खारिज किया जाता है। चूकि प्रकरण में गुणावगुण पर भी बहस सुन ली है इसलिए गुणावगुण पर भी निर्णय पारित किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया जिससे अपीलांटस के हित प्रभावित होते हो। मूल वाद में तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा पेश जबाव दावे से दावे को स्वीकार किया गया है तथा दावे में चाहे गये अनुतोष को देने पर तहसीलदार धौरीमन्ना द्वारा अनापति जाहिर की गई। मातहत अदालत द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात निर्णय में विवेचन करते हुए अंकित किया कि "सड़क हेतु कायम खसरा संख्या 81/1 जो वादी के खेत का हिस्सा था तथा वादी के खेत खसरा संख्या 81/2 में मौके पर सड़क बनी हुई होने से इस खसरे को गैर मुमकिन सड़क दर्ज किया जाना न्यायोचित है तथा सड़क के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा संख्या 81/1 में बरंग लाल रकबा 0.10 बीघा पर सड़क का हिस्सा है जो 81/2 के सहारे आया हुआ है तथा तहसीलदार द्वारा पेश नक्शे में बरंग लाल है को छोड़कर शेष बरंग हरा जिसमें वादी का कब्जा होने से 81/2 रकबा 2.10 बीघा के बदले एक समान रकबा 81/1 का बरंग हरा 2.10 बीघा को शेष सड़क से अलग किया जाकर वादी के पक्ष में घोषित करने में कोई असुविधा नहीं है तथा विवाद भी नहीं बढ़ेगा।" अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाद समुचित सुनवाई मातहत अदालत द्वारा पारित की गई। रेस्पोडेंटस को मिले अपने वैधानिक खातेदारी अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले उसके विधिक खातेदारी अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट अनुमति के अभाव में तथा सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2022 बअनवान करनाराम बनाम तहसीलदार धौरीमन्ना में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2024 को यथावत रखा जाता है। मातहत अदालत का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
01.08.24

(अजीतसिंह राजावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
01.08.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर